प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 21.06.2026

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा षडयंत्र रचकर जान से मारने की नियत से फायर करने वाले अभियुक्तगणो मे से तीन अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से एक पिस्टल 32 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 32 बोर व एक मोटर साईकिल बरामद।

दिनांक 19.06.2026 को वादी श्री तरूण पुत्र श्री सुखवीर सिंह निवासी ई-688 नन्दग्राम थाना नन्दग्राम गाजियाबाद ने सूचना दी कि दिनांक 19.06.2026 को आकाश त्यागी आदि 5 नफर व कुछ अज्ञात व्यक्तियो द्वारा जान से मारने की नियत से मेरे ऊपर गोली चलाई गयी जिससे वादी के हाथ मे गोली लगी है गंभीर रूप से घायल होने व लगातार जान से मारने की धमकी के सम्बन्ध मे सूचना पर थाना नन्दग्राम पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन किया गया, दिनांक 21.06.2026 को दौराने चैकिंग मुखबिर की सूचना मिली कि आपके मुकदमे के वांछित बगैर नम्बर प्लेट मोटर साईकिल पर सवार हिण्डन रिवर मैट्रो से रोटरी मैट्रो स्टेशन से रोटरी गोल चक्कर जाने वाले रास्ते पर मोहन नगर रोड पर कही जाने की फिराक में है उक्त सूचना पर तत्काल नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा तत्परता पूर्वक बैरियर को आगे बढाकर एक बारगी की दबिश देकर तीन व्यक्ति मोटर साईकिल सवार बगैर नम्बर प्लेट को पकड लिया गया। उक्त अभियुक्तगण को हिरासद पुलिस लिया गया। अभियुक्तगण का नाम पता क्रमश: 1. आकाश त्यागी पुत्र संजीव त्यागी निवासी 15 ए भवानी एन्कलेव अटौर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष 2. सागर पंडित पुत्र विजय शर्मा निवासी म0न0 224 न्यू आर्य नगर थाना सिहानी गेट गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष 3. राहुल शर्मा पुत्र संजीव शर्मा निवासी म0न0 68 गली न0 4 सेवा नगर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष है। अभियुक्त राहुल के कब्जे से एक अदद पिस्टल 32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ व एक अदद मोटर साईकिल स्पेलैण्डर जिसको ई चालान एप्प सर्च किया गया न0 UP14FQ4078 बरामद हुई। अभियुक्तगण के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता-

1- आकाश त्यागी पुत्र संजीव त्यागी निवासी 15 ए भवानी एन्कलेव अटौर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

2- सागर पंडित पुत्र विजय शर्मा निवासी म0न0 224 न्यू आर्य नगर थाना सिहानी गेट गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

3- राहुल शर्मा पुत्र संजीव शर्मा निवासी म0न0 68 गली न0 4 सेवा नगर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो उपरोक्त अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि दिनांक 19/06/2026 को तरूण के ऊपर राहुल शर्मा द्वारा पिस्टल से गोली चलाना स्वीकार किया तथा अभियुक्तगण से गोली चलाने के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त सागर पण्डित ने बताया कि साहब तीन दिन पहले तरूण ने मेरे साथ मारपीट की थी जिसमें मेरे होट व दाहिने हाथ पर कोहिनी के पास चोट आयी थी उसी बात को लेकर मुझमें गुस्सा था, यह बात मैने अपने दोस्तो को बतायी थी तो दिनांक 19/06/2026 को मैंने व मेरे साथियों ने तरूण को अनलिमिटेड होटल पर बात करने के लिए बुलाया था जिसमें बात बढ़ गयी थी उक्त पिस्टल मैने राहुल को सेफ्टी के लिए ले जाने के लिए कहा था बात ज्यादा बढने पर राहुल ने गोली चला दी थी, तरूण को गोली लगने पर हम वहां से भाग गये थे। मोटरसाइकिल के संबंध में पूछने पर आकाश ने बताया कि यह मोटरसाईकिल मेरे दोस्त जतिन के नाम है ओर मैंने चलाने के लिए अपने पास रखी थी। साहब गल्ति हो गयी।

बरामदगी का विवरण -

एक पिस्टल 32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर

एक मोटर साईकिल रजि0न0 UP14FQ4078

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त सागर उपरोक्त के विरूद्ध थाना नन्दग्राम पर02 अभियोग हत्या संबंधी व एससी/एसटी एक्ट मारपीट संबंधी व थाना सिहानी गेट पर मारपीट संबंधी कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम—

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा अवैध गांजा बेचने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 120 ग्राम गांजा व गांजा बिक्री के 770/- रुपये बरामद।

कार्यवाही का विवरण - ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत दिनांक 20.06.2026 की रात्रि को चेकिंग के दौरान मुखबीर की सूचना पर थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गांजा बेचने वाला अभियुक्त मोनू पुत्र दीपक निवासी देवीराम के किराये का मकान पानी टंकी वाली गली कड़कड़ मोडल थाना लिंक रोड़ गाजियाबाद उ0प्र0 उम्र 18 वर्ष को 01 किलो 120 ग्राम गांजा व गांजा बिक्री के 770/- रुपये के साथ सैक्टर 14 नगर निगम पार्क के पास से समय करीब 23.12 बजे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ मे बताया की मै गांजा दिल्ली से लाता हूँ मैंने इसमें से कुछ गांजा चलते-फिरते नशा करने वालों को बेंच दिया है जो रुपये बरामद हुए है इसी गांजा के है जिससे अपना घर का खर्चा चलाता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

मोनू पुत्र दीपक निवासी देवीराम के किराये का मकान पानी टंकी वाली गली कडकड मोडल थाना लिंक रोड गाजियाबाद उत्तर प्रदेश उम्र 18 वर्ष

बरामदगी

- 01 किलो 120 ग्राम गांजा
- 770/- रुपये गांजा बिक्री के।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर गांजा बरामदगी का एनडीपीएस सम्बन्धी 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 31.05.2026 को थाना मुरादनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण द्वारा वादिया के पुत्र राहुल पर मकान व प्लाट बेचने का दवाब बनाना, न बेचने पर जान से मारने की धमकी देना व अभियुक्तगण उपरोक्त के द्वारा एक राय होकर राहुल उपरोक्त के साथ लाठी डण्डो से मारपीट करना जिससे वादिया के पुत्र राहुल की मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 103(1)/351(3)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। विवेचना/ साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्त अभियोग से धारा 103(1) बीएनएस का लोप किया गया व धारा 105 बीएनएस की वृद्धि की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 21.06.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित 1.मनीष पुत्र वेदपाल उम्र करीब 31 वर्ष निवासी शिवविहार करावल नगर थाना करावल नगर दिल्ली 2. जोनी पुत्र अशोक कश्यप निवासी बहैटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी बहन की शादी करीब 07 वर्ष पूर्व राहुल पुत्र राजेन्द्र निवासी राधा कुन्ज कॉलोनी थाना मुरादनगर गाजियाबाद के साथ हुई थी, मेरा बहनोई राहुल शराब का आदी था। जो आय दिन मेरी बहन के साथ झगड़ा करता था। मेरी बहन मुझे और मेरे पापा को टेलीफोन करके झगड़े के बारे में बताती थी, पूर्व में भी मेरे पापा वेदपाल राहुल को समझाने आये परंतु मेरे बहनोई ने कोई बात नही मानी। दिनांक 27/05/2026 को मैं अपनी बुआ के लडका के साथ बहन के घर गया तो मेरे बहनोई राहुल और मेरी बहन का आपस में झगडा हो रहा था। मेरी बहन 7-8 माह की गर्भवती होने के कारण मैंने राहुल को हटाने का प्रयास किया जिससे वो गिर गया, हम राहुल को अपनी गाडी में रखकर इलाज हेतु निवोक अस्पताल ले गये वहां राहुल को डा0 के द्वारा मृत घोषित कर दिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1. मनीष पुत्र वेदपाल उम्र करीब 31 वर्ष निवासी शिवविहार करावल नगर थाना करावल नगर दिल्ली।

2. . जोनी पुत्र अशोक कश्यप निवासी बहैटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है ।अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम ।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 2000/- रुपये के नकली नोट, 02 नवजात शिशु के फोटोग्राफ व मोबाइल फोन बरामद ।

दिनांक 26.05.2026 को वादिया द्वारा थाना ट्रोनिका सिटी पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्ता पूजा द्वारा वादिया की बच्ची को बिना बताये घर से ले जाकर अभियुक्त मोनू उर्फ मनोज नाम के व्यक्ति को दे देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियोग पंजीकृत कर नवजात शिशु की सकुशल बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था । तत्पश्चात दिनांक 02.06.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटैज, सुरागसी-पतारसी, सर्विलांस के आधार पर मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अपहृता नवजात शिशु (उम्र 11 दिन) को सकुशल बरामद किया गया तथा 12 अभियुक्त/अभियुक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण की तलाश जारी थी।

तत्पश्चात आज दिनांक 21.06.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नदीम खान पुत्र नईम खान निवासी ए -ब्लॉंक गली न0-20 राजीव नगर खजूरी दिल्ली उम्र करीब 40 वर्ष को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 2000/- रुपये नकली नोट, 02 नवजात बच्चों के फोटोग्राफ व मोबाइल फोन बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त से बरामद नकली नोट व फोटोग्राफ के बारे में पूछा तो अभियुक्त ने बताया कि ये जो 2000/- रूपये के नकली नोट मिले हैं हम लोग नकली इन नोट का प्रयोग नवजात शिशु खरीदने के लिये करते हैं। जो फोटोग्राफ आपको मिले हैं यह फोटो ग्राफ नवजात शिशुओं के हैं। यह फोटोग्राफ मुझे वाट्सएप के माध्यम से आये थे। हमारा पूरा नेटवर्क है । जो कि नवजात बच्चों को खरीदने व बेचने का कार्य करता है । इसमें हमें अच्छा कमीशन मिल जाता है। इन दो फोटोग्राफ में 01 फोटो उसी शिशु का है जिसे मेरे साथियों द्वारा दिनांक 23.05.2026 को पूजा कॉलोनी में से 11 दिन की बच्ची का अपहरण करके उसे बेचने के लिये तरन्नुम, आरती व मुझे देने आने वाले थे। इस बच्ची को मैं अपने साथियों के साथ राजू व दीप्ति को आन्ध्र प्रदेश में ले जाकर बेच देता । परंतु दिनांक 02.06.2026 को पुलिस द्वारा मेरे साथियों को उस नवजात बच्ची के साथ पकड़ लिया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

नदीम खान पुत्र नईम खान निवासी ए ब्लॉंक गली न0-20 राजीव नगर खजूरी दिल्ली उम्र करीब 40 वर्ष।

वांछित अभियुक्तगण-

1.तरन्नुम निवासी गढ्ढा कॉलोनी लोनी गाजियाबाद ।
2.आरती निवासी सभापुर खजूरी दिल्ली।
3.राजू निवासी आन्ध्र प्रदेश राज्य।
4.दीप्ति निवासी आन्ध्र प्रदेश राज्य।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 2000/- रुपये के नकली नोट , 02 नवजात शिशु के फोटोग्राफ व मोबाइल फोन बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त नदीम खान के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग ,थाना खजूरी खास दिल्ली पर बलात्कार का 01 अभियोग (कुल- 02 अभियोग) पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम ।